<u>प्रपत्र – 23</u>

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी मे जसपुर–सिल्याण–निराकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.125 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :– जसपुर।
तहसील :– भटवाड़ी, जिला – उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद उत्तरकाशी मे जसपुर–सिल्याण–निराकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.125 है0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाड़ी/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, प्रर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जसपुर द्वारा दि0 23/01/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्रम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वनाधिकारी अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृर्षि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृर्षि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हन्न नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सहमति सें निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जसपुर–सिल्याण–निराकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लो0निवि0, भटवाड़ी प्रयोक्ता ऐजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत-जसपुर

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह0
ग्राम सचिव
वि0ख0–भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

ह0
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में मल्डियाना लम्बगाव उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर सिल्याण निराकोट मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भटवाड़ी

उपखण्ड भटवाड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जसपुर सिल्याण निराकोट मोटर मार्ग (1.40 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.725 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ___ हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.125 हे0 वन भूमि) का प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0 भटवाड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भटवाड़ी) की दिनांक 07/02/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवेन्द्र नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री देवेन्द्र नेगी –उपजिलाधिकारी – भटवाड़ी –अध्यक्ष

2– श्री आर0 बी0 सिंह –उप प्रभागीय वनाधिकारी– भटवाड़ी –सदस्य

3– श्री ~~कुलदीप रावत~~ –सहायक समाज कल्याण अधिकारी– भटवाड़ी –सदस्य/सचिव

4– श्री रमेश भट्ट –बी0डी0सी0 क्षेत्र – माण्डो ~~सदस्य~~ जसपुर –सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में मल्डियाना लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर सिल्याण निराकोट मोटर मार्ग का निर्माण। परियोजना हेतु 2.125 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भटवाड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जसपुर सिल्याण निराकोट मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.125 हे0 वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– भटवाड़ी
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– भटवाड़ी
जनपद उत्तरकाशी

कार्यालय उप जिलाधिकारी.भटवाड़ी.......
उप खण्ड स्तरीय समिति...भटवाड़ी......

आज दिनांक.....7.2.2020.... को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड.भटवाड़ी में जसपुर..सिल्याण..निराकोट मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 2.125...... है0 के सम्बन्ध में वन अधिनियम-2006 एवं नियम- 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी..भटवाड़ी..... की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1-	देवेन्द्र नेगी	उप जिलाधिकारी.भटवाड़ी	[signature]
2-	आर.के. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी.भटवाड़ी	[signature] 7/2/20
3-	कुलदीप रावत	सहायक समाज कल्या अधिकारी.भटवाड़ी	[signature]
4-	रमेश भट्ट	बी0डी0सी0क्षे. पंचायत सदस्य.ग्रा0पं0.जसपुर	[signature]

कार्यालय जिलधिकारी, उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति
जिला – उत्तरकाशी।

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में भल्डियाना लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर सिल्याण निराकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 2.125 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दि0 29/7/20 को आहूत की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

कसं0	अधिकारी / जिलापंचायत	पद नाम	हस्ताक्षर
1	डॉ0 आशीष चौहान	जिलाधिकारी , उत्तरकाशी ।	[signature] जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2.	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी।	[signature]
3.	श्री विक्रम सिंह	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी	[signature] जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4.	श्रीमती जयमाला	जिला पंचायत सदस्य	[signature]
5.	श्री मनोज मिनान	जिला पंचायत सदस्य	[signature]
6.	श्री मनीष राणा	जिला पंचायत सदस्य	[signature]

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE

DISTRICT, UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dr. Ashish Chauhan I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 29/7/2020 at Uttarkashi in which application claiming rights in civil land area measuring 2.125 hect. for the construction of Juspur Silyan Nirakot Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level committee of Bhatwari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place- Uttarkashi

Dated- 29/7/2020

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarkashi.

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi

Name of Project- Motor Road Construction of Juspur Silyan Nirakot .

No--- Dated-29/7/2020

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.125 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Construction Division P.W.D. Bhatwari in Uttarkashi (Name of user agency) for construction of Juspur Silyan Nirakot Motor Road (Purpose of diversion of forest land) in Uttarkashi District falls within jurisdiction of Juspur Silyan & Nirakot Village(s) in Bhatwari tehsil(s).

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.125 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

<u>Eucl: As above</u>.

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarkashi.

It is certified that- Minute of Meeting of Construction of Juspur Silyan Nirakot Motor Road, Uttarkashi under PWD Bhatwari Uttarkashi in the state of Uttarakhand regarding FRA is as following-

Sr.no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire **2.125 Hect.** of forest area proposed for deversion. A copy of record of all consultaions and meeting of the forest Right Committee(s). Sub Division level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes, copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. **No objection certificate** concerned villages regarding construction Juspur Silyan Nirakot Motor Road, Uttarkashi section in the state of Uttarakhand scheme attached.
(c)	The proposal does not involve recoginiged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate,
Uttarkashi.